तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मुखराम बनाम सरकार फौजदारी प्रकरण संख्या 27/54/2019 एफआईआर नंबर 59/19 थाना थानागाजी सीआईएस संख्या 44/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
16.03.2026	परिवादी मुखराम मय अधिवक्ता उप0। विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने बहस प्रसंज्ञान की। बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार से हैं कि घटना दिनांक 04.03.2019 को समय सायं करीब 07.00 बजे प्रार्थी का पुत्र कैलाश चंद सरिस्का से अपनी मोटरसाईकिल नंबर आरजे 02 बीडी 8882 से थानागाजी आ रहा था। तभी प्रार्थी का पुत्र थैंक्यू बोर्ड से पहले उण्डा नाला के पास पहुंचा तो एक लोक परिवहन की बस जिसके नंबर आरजे 02 पीए 5054 जिसके पीछे शीशे पर पुजारा लिखा हुआ था, का चालक बस को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ थानागाजी की तरफ से आया जिसने प्रार्थी के पुत्र के टक्कर मार दी जिससे प्रार्थी के पुत्र के पांव की हडडी टूट गयी और चालक बस को लेकर अलवर की तरफ भाग गया तथा पीछे से आ रहे गवाहान हरबीर पुत्र रामकिशोर निवासी माधोगढ व देशराज पुत्र जयराम निवासी ढिगारिया ने उठाकर प्रार्थी के पुत्र को थानागाजी अस्पताल पहुंचाया तथा अधिक चोट लगने के कारण प्रार्थी के पुत्र को अलवर तथा अलवर से जयपुर रैफर कर दिया। उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना थानागाजी द्व ारा एफआईआर नंबर 59/19 धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता में दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान प्रकरण में एफआर अदम पता माल मुलजिम में न्यायालय में प्रस्तुत की। अंतिम प्रतिवेदन से परिवादी द्वारा व्यथित होकर प्रोटेस्ट पीटिशन प्रार्थना पत्र पेश किया व परिवाद के समर्थन में धारा 200 सीआरपीसी में स्वयं को व धारा 202 सीआरपीसी में कैलाश चंद व हरबीर को परीक्षित कराया। दौराने बहस परिवादी के अधिवक्ता का यह कथन रहा है कि उक्त प्रकरण में मुकामी थाना थानागाजी ने मुलजिमान से मिलकर गलत रूप से एफआर लगायी है। पुलिस थाना थानागाजी ने ना तो मेरे बयान लिये और ना ही गवाहों के	

बयान लिये। गवाहों के बयान तोडमरोड कर पेश कर दिया। अंत में प्रोटेस्ट पीटिशन स्वीकार कर अभियुक्त के खिलाफ प्रसंज्ञान लिये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहरीरी रिपोर्ट, धारा 200 व 202 सीआरपीसी के बयानों आदि का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा हस्तगत प्रकरण में एफआर अदम पता माल मुलजिम में अपने अनुसंधान में यह पाया कि प्रकरण में मुस्तगीस व मजरूब दोनों के बयानों में विरोधाभास है व एफआईआर में अंकित गवाह देशराज व हरिबीर दोनों गवाहों ने घटना को नहीं देखना बताया। खाली फोन से सूचना मिलना बताया है व दोनों गवाहों ने स्वीकार कर बताया कि उनको यह कहकर झूठा गवाह बनाया था कि उनको क्लेम मिल जायेगा। परिवादी ने क्लेम उठाने के लिए बस के झूठे नंबर देना पाया गया। सरिस्कावन क्षेत्र में लगे कैमरों से भी घटना के वक्त उक्त नंबरों की बस का आना नहीं पाया गया है।

अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपने अनुसंधान में दिये गये निष्कर्ष के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपने अनुसंधान में यह पाया है कि प्रकरण में मुस्तगीस व मजरूब दोनों के बयानों में विरोधाभास है व एफआईआर में अंकित गवाह देशराज व हरबीर दोनों गवाहों ने घटना को नहीं देखना बताया। खाली फोन से सूचना मिलना बताया है व दोनों गवाहों ने स्वीकार कर बताया कि उनको यह कहकर झूठा गवाह बनाया था कि उनको क्लेम मिल जायेगा। जिसके खंडन में पत्रावली पर उपलब्ध तहरीरी रिपोर्ट में परिवादी द्वारा यह कथन किया गया है कि लोक परिवहन की बस नंबर आरजे 02 पीए 5054 का चालक बस को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ थानागाजी की तरफ से आया जिसने प्रार्थी के पुत्र के टक्कर मार दी जिससे प्रार्थी के पुत्र के पांव की हडडी टूट गयी और चालक बस को लेकर अलवर की तरफ भाग गया तथा पीछे से आ रहे गवाहान हरबीर व देशराज ने उठाकर प्रार्थी के पुत्र को थानागाजी अस्पताल पहुंचाया। उक्त तर्कों के संबंध में स्वयं मजरूब कैलाश चंद के धारा 202

सीआरपीसी के बयानों में लोक परिवहन बस नंबर आरजे 02 पीए 5054 ने उसके सामने से आकर टक्कर मारने का कथन करता है तथा गवाह हरबीर जिसको परिवादी द्वारा घटना देखे जाने का कथन करता है, उसके द्वारा अपने बयानों में उक्त बस नंबर ने कैलाश के पीछे से टक्कर मारने का कथन किया गया है ऐसे में उक्त दोनों ही गवाहों के बयानों में विरोधाभास उत्पन्न होता है तथा दोनों ही गवाहों के बयान अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं। ऐसे में परिवादी द्वारा अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिये गये निष्कर्षों का लेशमात्र भी खंडन नहीं किया गया है और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश की है जिसके आधार पर अनुसंधान अधिकारी के निष्कर्ष का खंडन हो सके। ऐसे में पत्रावली पर मौजूद तथ्यों का समग्र रूप से अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस मत का है कि अनुसंधान अधिकारी ने जो नतीजा पेश किया है, उसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है व अनुसंधान का नतीजा विश्वसनीय प्रतीत होने से अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कार्यवाही करने के आधार नहीं होने से प्रोटेस्ट पीटिशन अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं थानाधिकारी द्वारा पेश की गई एफआर अदम पता माल मुलजिम स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से एफआर अदम पता माल मुलजिम में स्वीकार की जाती है। केस डायरी लौटाई जावे। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।